वित्तीय स्वीकृति

संख्या-१३/२०१९/866/52-3-19-बजट(2)/2018

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 21 मई, 2019

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में मदरसों के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन मद के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-355/अ0स0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/ 2019-20, दिनांक 29.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-17/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2(3) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों केा पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 27.50 लाख (रू0 सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पेंशनादि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 31.10.2019 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सेवा निवृत्त सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 30.10.2019 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-109-राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को पेंशन- 03-पेंशन आदि का भुगतान-0302-दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-17/दस -2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-866(1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।